AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (E):2583:1348, ISSN(P): 2582:8800 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 01| January 2022 | ***www.agpegondwanajournal.co.in*** | Page No. 33-37

भारतिय आदिवासीयों की स्थिती और मौजूदा बदलाव – सामाजिक अध्ययन

Dr. Harshda Patel
Assistant Professor
Department of Sociology
Shri Sai Art & Commerce Mahavidyalaya, Gadchiroli, M.S

सारांश:

स्वतंत्र गोंडवाना राज्य को इ.स 1818 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जीते जाने से नए भारत के निर्माण तक आदिवासी आशिया खंड में अपना जीवन यापन खुद पर निर्भर होकर कर रहे थे| आदिवासी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बीच बीच में युद्ध स्वरूप स्थिति निर्माण करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न रथ थे | कठोर परिश्रम से जीवन सुखमय करने में लगे रहते थे| स्वयं प्रशासन की उम्मीदें टूटती नजर आने लगी है |

इ.स 1947 मैं बैरिस्टर मोहनदास गांधी ने ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता मांगने के लिए एक संघर्ष यात्रा शुरू की ' चले जाओ' का नारा लगाया फिर भी ज्यादा से ज्यादा 150 साल अंग्रेज इस खंड पर राज करते रहे| युद्ध में अंग्रेजो की पराजय हुई उनकी माली हालत खस्ता होने लगी फिर जाकर इस भूभाग ओं को प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी के द्वारा प्रशासन 1950 को सौंप दिया गया| आदिवासियों को अपने राज्य पाठ से काम था| फिर भी अपना गोंडवाना वापस लेने के लिए संघर्ष जारी रखा इसमें गोंड राजाओं ने बलिदान दिया|

प्रस्तावना:

सन 1947 के बाद नए राष्ट्र का संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनोनीत संविधान समिति और संविधान मसौदा बनाने वाली समिति द्वारा किया गया| सविधान मसूदा समिति द्वारा बनाया गया संविधान भविष्य में काम आया| डॉक्टर

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
Dr. Harshda Patel Assistant Professor Department of Sociology Shri Sai Art & Commerce Mahavidyalaya, Gadchiroli, M.S Email: shindepramod.eco@yahoo.com	

अंबेडकरजी द्वारा बनाए संविधान में जरूर त्रुटीयाँ थी परंतु 1947 के समय यह त्रुटीयाँ विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी| नया देश बनाने का कार्य महत्वपूर्ण चुनौती पुर्ण था | नए देश का नाम भारत रखा गया अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा | आजादी मिली परंतु बहुत से मूल निवासियों को उनके अधिकार नहीं मिल पाए| आदिवासी अज्ञानता से इस विषय की चर्चा कम ही करते रहे |

राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलित, पीड़ित और शोषित दलों के साथ आदिवासियों के कई वर्गों को शैक्षिक सहूलियते, आवाज, रेशनिंग आदी जैसे कम-ज्यादा विकासात्मक कार्य किए | परंतु आदिवासी की अज्ञानता के कारण वह यह समझने में देरी कर गए की उन्हें अपने स्वतंत्र प्रांत गोंडवाना को स्वतंत्र अस्तित्व देना है| मूल निवासियों की भाषा, धर्म संस्कृति आदि मूलभूत अधिकार मांगने में देरी हो गई| तब तक आदिवासियों में से कुछ जनजातियां पिछड़ते चले गए|

इसमे सबसे ज्यादा गोंड, कोलाम , भूमिया, माडिया ऐसी कई जनजातियां अपनी मातृभाषा के वजह से शिक्षा से वंचित रही| 19वी और 20 वी शताब्दी आने तक 100 में से पांच ऐसे शिक्षा स्तर बढ़ने लगा| संविधान की आठवीं सूची की व्यवस्था ना लागू करना तथा शिक्षकों की कमी| आदिवासियों में 21वीं सदी में शिक्षा स्तर बढ़कर शिक्षकों में वृद्धि होने लगी जो संरक्षित सीटे होने से परंतु फिर भी 100 में से 10% शिक्षा स्तर धीरे धीरे बढ़ा| 21वी सदी में शिक्षा ग्रहण करने के कठोर नियमों से शिक्षा स्तर तो बड़ा लेकिन सीटों के लिए नौकरी में दलालो की भरमार बढ़कर अनुचित रीति से 30 से 40 लाख डोनेशन प्राइमरी, हाई स्कूल एंव कॉलेज अध्यापकों को देना होगा, रोजगार, स्कूलों में अन्य भाषा के दबाव की जबरदस्ती होने लगी और फिर 20 वी सदी की स्थिति में 100 में से 5% अध्यापकों को ही नौकरी में दूरदराज जगहों पर नौकरी पाने के अवसर मिलने लगे|

संशोधनके उद्देश:

1. भारतिय आदिवासीयों की स्थिती और मौजूदा बदलाव को समझना।
2. आदिवासीयों की स्थिती मे बदलाव का अध्ययन।

विश्लेषन:

इस प्रकार बिगड़ी हुई व्यवस्था शिक्षा स्तर को निम्न स्तर पर ले गई | भाषा का अभाव , भाषा में शिक्षा की व्यवस्था ना होना, रोजगार, स्कूलों में अन्य भाषा का दबाव, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का अभाव जिसमें धार्मिक,

सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा अस्तव्यस्त हुआ| सवर्ण जातियों का सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर दबाव| मार्ग अवरुद्ध किया जाना इन सभी कारणों से आदिवासी अपने आप को सुधार नहीं पाया| जिस से हीन भावनाएं आर्थिक उन्नति राजकीय व्यवस्था उसे निम्न स्तर के लोगों का शोषण करके उन्हें प्रगत जीवन का लाभ उठाने में रोड़ा बनते जा रही थी|

भारतीय संविधान अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में से केवल वोटिंग का अधिकार अबाधित है। रिजर्वेशन से लेकर बाकी सभी मूलभूत अधिकार की अनदेखी की गई है| आदिवासियों का विकास यहां अब केवल मजाक का विषय बन गया है| आदिवासी विकास योजनाओं के सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं| आदिवासियों की व्यक्तिगत विकास योजनाओं की उपेक्षा कर आर्थिक गुलामी मे धकेला जा रहा है। आदिवासी अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठा सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा नक्सलवादी और देशद्रोही के नाम पर उन्हें सैनिकों की गोलियों से मारा जा रहा है ताकी आदिवासियों के प्रदेशों को खाली किया जा सके|

दुख इस बात का है कि, आदिवासी इस साजिश को नहीं समझ रहे है| अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करें, आंदोलन करें और अपने मताधिकार का उपयोग कर सत्ता परिवर्तन करें| इन सरल बातों को अगर ना समझ सके तो यह स्वेच्छा से गुलामी की जिंदगी स्वीकार करने के ही समान है| आदिवासियों के नेताओं के साथ कई लोग केवल चुनाव में आदिवासियों का इस्तेमाल कर लेते हैं| लेकिन जरूरत के वक्त समाज के यह मुखिया बड़ी राजनीतिक पार्टियों से पैसों के लिए अपनी नियत बेचकर समाज को धोखा देते हैं| इन बातों को ना समझ कर हमारा लीडर ही हमारा मसीहा है। इस अंधभक्ति में भेड़ों के झुंड के समान अपने लीडर के पीछे चलते रहते हैं| इसी का परिणाम है जो आजादी के बाद भी आज तक आदिवासी अपना जीवन स्तर सुधारने में नाकाम रहा है|

रिजर्वेशन की नौकरियां यह दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है| 2014 के बाद ब्रह्मणवादी सरकार ने आरक्षित सीटों की आदिवासियों की नौकरिंयो को खत्म करने का काम किया है| आदिवासियों को नौकरी पाने के लिए आज लाखों रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है| आज की तुलना में कांग्रेस सरकार के समय महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में क्लर्क, हेड क्लर्क, टीचर प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि पदों को पाना आदिवासियों के लिए बहुत आसान था| किंतु 2014 के बाद आरक्षण पर रोक लगाते हुऐ 25 से 40 लाख रूपयों में इन नौकरियों को बेचा जा रहा है| आदिवासियों का कोठा नाम मात्र है| जो कुछ आदिवासी अपनी मेहनत से उच्च शिक्षा हासिल करते हैं उन्हें भी उनके हक की नौकरियों

से दूर किया जाता है| 13 प्वाइंट रोस्टर हो या अन्य इनमें आदिवासियों की सीटें अपर्याप्त शुन्य समान ही कही जा सकती है| आदिवासियों द्वारा लाखों रुपए का डोनेशन ना दे पाने के कारण उनके लिए नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं|

भारत सरकार की यह नीति आदिवासियों को आगे जानेसे रोकने का ही काम कर रही है| लेकिन आदिवासियों के नेता इन विषयों पर अपनी आवाज नहीं निकालते नाही इसके विरोध में आंदोलन खड़ा करते हैं| इस प्रकार की डरपोक नीति आदिवासी को नरक में ढकेल रही है, भविष्य में हमारी हालत ना घर के ना घाट के होने वाली है|

बहुजन समाज (शेड्यूल कास्ट) संघर्ष और विरोध की भाषा करते थे | आदिवासी इनके पीछे छिपकर अपनी भूमिका निभाते थे| किंतु अब तो बहुजन भी ब्राह्मणों के पैरों में शरण लेते दिख रहे हैं| इसीलिए अब आदिवासियों को हार मानकर सवर्णों के आगे पराजय स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा|

निष्कर्ष:

आदिवासियों के जो नेता समाज का भला नहीं कर सकते उन्हें समाज ने पदों से हटा देना चाहिए| डरपोक, उदासीन समाज की स्थिति समाज के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को खत्म करने का काम कर रही है| ब्राह्मणवादी अनैतिक, द्वेष, भेद, कपट नीति के खिलाफ संघर्ष और विरोध करने की ताकत आदिवासी खो चुके हैं| वास्तविक कार्यों के बाजाय आदिवासी केवल जुमलेबाजी में मशगूल है| अब आगे क्या? यही सवाल बचा है| पैसे फेककर किसी वैश्या को जैसे खरीदा जा सकता है उसी प्रकार आदिवासी समाज के नेता दलाल बन कर अपने समाज को चंद पैसों के लिए नग्न कर रहे हैं| आत्म सम्मान खोचुके आदिवासी कभी अपना उद्धार नहीं कर सकते और कोई सच्चा ईमानदार लीडर मिल भी जाए तो यह अंधभक्त उसे भगाकर स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे| आदिवासियों की जमात भारतीय राजनीति से नामशेष होने की कगार पर है| भारत सरकार का दिया आदिवासी नाम ही स्वयं का नाम स्वीकार कर हमारा समाज इसी में धन्यता मान रहा है| और यही वजह है जो आज तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाया है| अगर यही स्थिति कायम रही तो भविष्य में आदिवासियों की हालत बद से बदतर होने में समय नहीं लगेगा| हमारा समाज अगर इसी निष्क्रियता में पड़ा रहा तो आने वाले वक्त में रेत की धूल बन कर भारतीय द्वीप से नष्ट होने में समय नहीं लगेगा|

संदर्भ:

1) डॉ. गारे गोविंद : "पैनगंगा नदीच्या खोऱ्यातील आंध आदिवासी" श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे. (२००१)

2) डॉ. कुलकर्णी शौनक : "महाराष्ट्रातील आदिवासी" डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, (२००९)

3) डॉ. आगलावे प्रदीप : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१२)

4) डॉ. कऱ्हाडे बि.एम. : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" पिंपळापूरे ॲण्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, (२०१०)

5) डॉ. आगलावे प्रदीप : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर (२०१२)

6) डॉ. आगलावे प्रदीप: "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१२) पृ. क्र. १६, १७.

7) "वार्षिक रिपोर्ट: आदिवासी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, २०१३-१४

8) डॉ. मारोती तेगमपुरे : "आदिवासी विकास आणी वास्तव" चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, (२००९)

■ ■ ■